संख्या–भा0स0 26 / 14–2–2017–800 (198) / 2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 02 **फरवरी 2017**

विषयः– बदायूं में चन्दौसी–बदायूं मार्ग एस0एच0–43 किमी0 59 पर ग्राम मुड़िया के खसरा संख्या–210 में एस्सार ऑयल कम्पनी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या–8बी / 06 / 10 / 2017 / 111, दिनांक 25–01–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयक प्रकरण में 02 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

2– विषयगत प्रकरण के सम्बंध में मूल प्रस्ताव वापस करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार त्रुटियों का निराकरा कराने एवं कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या सहित संशोधित प्रस्ताव शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि प्रस्ताव की 02 प्रतियां।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।